रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-73

Registered No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 1975 (चैत्र 22, 1897)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 1975 (CHAITRA 22, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

स० 17(12) 274—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 (1959 का 43) की धारा 32 के अन्तर्गत दिए गए अधिकारो को प्रयोग करते हुए एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति सहित तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग छुट्टी विनियमावली 1968 मे निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. (1) यह विनियमावली तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग छुट्टी (दूसरा सशोधन) विनियमावली 1974 कहलाएगी।

(2) इनको सरकारी राजपत्र मे मुद्रित होने की तारीख से लागू माना जाएगा।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग छुट्टी विनियमावली 1968.

(क) विनियम 11 के उप विनियम (1) के खंड (च) एव उसकी व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा:—

(च) (i) आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन अथवा सघ की वार्षिक सामान्य बैठक अथवा गतिविधियो मे मान्यता प्राप्त संगठन अथवा संघ के कार्य-कर्ता के रूप मे उपस्थित होने हेतु एक कलैन्डर वर्ष मे अधिकतम 20 दिन तक।

(ii) मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय संगठन अथवा परिसंघ की बैठक मे इस प्रकार मान्यता प्राप्त संगठन अथवा परिसंघ के बाहरी प्रतिनिधि अथवा कार्य-कारिणी के सदस्य के रूप में उपस्थित होने हेतु किसी भी क्लैन्डर वर्ष मे अधिकतम 10 दिन तक।

(iii) मान्यता प्राप्त सगठन या संघ या परिसंघ की बैठक मे इस प्रकार मान्यता प्राप्त संगठन या सघ या परिसंघ के स्थानीय प्रतिनिधि या कार्य-कारिणी समिति के स्थानीय सदस्य के रूप मे उपस्थित होने हेतु किसी भी क्लैन्डर वर्ष मे अधिकतम 5 दिन तक।

टिप्पणी—यदि कोई सेवक खड (च) उप खड (1) के अन्तर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश ग्रहण कर लेता है तो वह खंड (च) के उप खड (ii) एव (iii) के अन्तर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश ग्रहण करने का अधिकारी नहीं होगा।

(ख) विनियम 12 मे

(i) उप विनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए, जसे:—

"(1) किसी भी सेवक को उपार्जित अवकाश सेवा काल के 1/11 भाग की दर से मिलेगा"

(ii) उप विनियम (8) के बाद निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए —

"(9) किसी भी सेवक की कार्य-रत मृत्यु की दशा मे उसके परिवार को सेवक के उपार्जित अवकाश के अनुपात मे अवकाश वेतन के बराबर की नगद राशि मिलेगी जिस अवकाश वेतन की अधिकतम सीमा 120 दिन के वेतन के बराबर होगी।"

(ग) विनियम 13 के उप विनियम (3) मे:—

(i) खंड (अ) मे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए:—

"यदि कोई सेवक अवकाश का प्रयोग किसी विश्व-विद्यालय अथवा प्रतिष्ठावान संस्था के मान्यता प्राप्त अध्ययन के लिए करता है तो ऐसी हालत में वह कुल सेवा काल में से अधिकतम 180 दिनों का अर्द्धवेतनिक अवकाश संराशित करवाने का भागी होगा।"

(ii) खंड (ग) लुप्त कर दिया गया है;

(घ) विनियम 19 में उपविनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए:—

किसी भी सेवक को अनिवार्य निवृत्ति की अवधि के बाद अवकाश नहीं मिलेगा," यदि कोई सेवक इन विनियमों के अधीन आरम्भिक निवृत्ति अवकाश के लिए अनिवार्य निवृत्ति की अवधि से पहले यथा-विधि अवकाश के लिए विधिवत प्रार्थना पत्र देता है तथा आयोग के हितों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी उक्त अवकाश अस्वीकृत कर देता है, ऐसी अवस्था में उसे अनिवार्य निवृत्ति की अवधि से अस्वीकृत वेतनिक अवकाश के बराबर की राशि मिलेगी जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, आरम्भिक निवृत्ति अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख एवं अनिवार्य निवृत्ति की अवधि के बीच उस व्यक्ति द्वारा उपार्जित, उपार्जित अवकाश की राशि जोड़ दी जाएगी और उसी अवधि के दौरान उपलब्धित अवकाश घटा दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा विनियम 12 के उप विनियम (4) के अनुसार 120 दिन होगी।

(2) यदि किसी सेवक का सेवा काल आयोग के हितों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य निवृत्ति की अवधि के बाद बढ़ाया जाता है तो उसे निम्न रूप से उपार्जित अवकाश मिलेगा :—

(क) बढ़े हुए समय में बढ़ाए हुए समय के अनुसार एवं अवकाश परिमाण तक उपार्जित अवकाश मिलेगा जिसका वह व्यक्ति उप-विनियम के परन्तुक के अन्तर्गत भागी होता यदि वह अनिवार्य निवृत्ति की तारीख को निवृत्त हो जाता/

(ख) बढ़ाए हुए समय के अवसान के बाद—

(i) उपार्जित अवकाश जिसमें से बढ़ाए हुए समय में लिया गया अवकाश कम कर दिया जायगा जिसका वह उप विनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत भागी होता यदि वह अनिवार्य निवृत्ति की तारीख को निवृत्त हो जाता और

(ii) बढ़ाए हुए समय में उपार्जित कोई भी अवकाश जिसके लिए सेवा के अन्तिम अवसान के प्रारम्भिक रूप में समय से पूर्व यथारीति प्रार्थना-पत्र दिया गया जो कि आयोग के हितों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत कर दिया हो।"

सं० 17(7)/74-रेग—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 (1959 का 43) की धारा 32 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को प्रयोग करते हुये एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति सहित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियमावली 1964 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. (1) यह विनियमावली तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (आचरण, अनुशासन और अपील) संशोधन विनियमावली 1974 कहलाएगी।

(2) इनको सरकारी राजपत्र में मुद्रित होने की तारीख से लागू माना जाएगा।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियमावली 1964 के विनियम 48 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय :

"48-क अवशिष्ट अधिकार

प्रत्येक मामला जो इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं होता अथवा जिसमें इन विनियमों के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध की छूट अपेक्षित है, फैसले के लिए आयोग को भेजा जायगा"।

सं० 17(44)/65-रेग—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 (1959 का 43) की धारा 32 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति सहित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (धन की अदायगी, निक्षेप, अभिरक्षण और धन का विनिधान) विनियमावली 1966 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. (1) यह विनियमावली तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (धन की अदायगी, निक्षेप, अभिरक्षण और धन का विनिधान) संशोधन विनियमावली 1974 कहलाएगी।

(2) इनको सरकारी राजपत्र में मुद्रित होने की तारीख से लागू माना जाएगा।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (धन की अदायगी, निक्षेप, अभिरक्षण और धन का विनिधान) विनियमावली 1966 के विनियम 5 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय :—

"6 अवशिष्ट अधिकार

प्रत्येक मामला जो इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं होता अथवा जिसमें इन विनियमों के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध की छूट अपेक्षित है, फैसले के लिए आयोग को भेजा जाएगा"।

सं० 17(4)/74-रेग—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 (1959 का 43) की धारा 32 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को प्रयोग करते हुये एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति सहित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु, निवृत्ति और आवधिक उपदान) विनियमावली 1969 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. (1) यह विनियमावली तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु, निवृत्ति और आवधिक उपदान) संशोधन विनियमावली, 1974 कहलाएगी।

(2) इनको सरकारी राजपत्र में मुद्रित होने की तारीख से लागू माना जाएगा।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु, निवृत्ति और आवधिक उपदान) विनियमावली 1969 के विनियम 5 के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाय :

"5 क : अवशिष्ट अधिकार

प्रत्येक मामला जो इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं होता अथवा जिसमें इन विनियमों के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध की छूट अपेक्षित है, फैसले के लिए आयोग को भेजा जाएगा"

सं० 17(49)/74–रेग—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 (1959 का 43) की धारा 32 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को प्रयोग करते हुये एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति सहित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (यात्रा भत्ता) विनियमावली 1970 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. (1) यह विनियमावली तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (यात्रा भत्ता) संशोधन विनियमावली 1974 कहलाएगी।

(2) इनको सरकारी राजपत्र में मुद्रित होने की तारीख से लागू माना जाएगा।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (यात्रा भत्ता) विनियमावली 1970 के :—

(i) विनियम 12 के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाय :

"12 क– अवशिष्ट अधिकार

प्रत्येक मामला जो इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं होता अथवा जिसमें विनियमों के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध की छूट अपेक्षित है, फैसले के लिए अध्यक्ष को भेजा जाएगा"

(ii) विनियम 13 में निम्नलिखित वाक्य लुप्त कर दिया जाय :

"जो मामले इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं होते, फैसले के लिए सदस्य (वित्त) और अध्यक्ष को सचिव के द्वारा भेजे जायेंगे"

के० के० धर,
सचिव

OIL & NATURAL GAS COMMISSION

No. 17(12)/74-Reg.—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959), the Oil and Natural Gas Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Oil and Natural Gas Commission Leave Regulations, 1968, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission Leave (Second Amendment) Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Oil and Natural Gas Commission Leave Regulations, 1968 :—

(a) In regulation 11, in sub-regulation (1), for clause (f), and the Explanation thereunder, the following shall be *substituted*, namely :—

"(f)(i) up to a maximum of 20 days in any calendar year for the purpose of attending annual general meetings or for participating in the activities of the association or union, recognised by the Commission in his capacity as office bearer of such recognised association or union.

(ii) up to 10 days in any calendar year for the purpose of attending meetings of recognised All India association or federation in his capacity as out station delegate or member of executive committee of such recognised association or federation.

(iii) up to 5 days in any calendar year for the purpose of attending meetings of recognised association or union or federation in his capacity as local delegate or local member of executive committee of such recognised association or union or federation.

NOTE : An employee who has availed of special casual leave under sub-clause (i) of clause (f) shall not be entitled to avail of special casual leave under sub-clause (ii) and sub-clause (iii) of clause (f)"

(b) in regulation 12—

(i) for sub-regulation (1) and (2) the following shall be *substituted*, namely :—

"(1) Earned Leave shall be admissible to an employee at the rate of 1/11th of the period spent on duty."

(ii) after sub-regulation (8), the following shall be *inserted*, namely :—

"(9) In case of death in harness, the cash equivalent of the leave salary that the deceased employee would have got for the period of earned leave at his credit on the date of death shall be given to his family subject to a maximum of leave salary for 120 days."

(c) in sub-regulation (3) of regulation 13—

(i) to clause (a) the following proviso shall be *added*, namely :—

"Provided that half pay leave up to a maximum of 180 days may be allowed to be commuted during entire service of an employee where such leave is utilised by the employee concerned for an *approved course* of study in a university/an institute of repute."

(ii) clause (c) shall be omitted;

(d) in regulation 19, for sub-regulation (1) and (2, the following shall be *substituted*, namely :—

"(1) No leave shall be granted to an employee beyond the date on which he should compulsorily retire;

Provided that if an employee formally applies for leave due and admissible under these regulations as preparatory to retirement well before the date of compulsory retirement and the leave so applied for is refused by the competent authority in the interest of the Commission's work, he may be granted from the date of compulsory retirement, the amount of earned leave as refused, increased by the amount of earned leave earned by him during the period between the date on which leave preparatory to retirement was to commence and the date of compulsory retirement, and decreased by such leave, if any, availed of during the same period subject to the maximum limit of 120 days as specified in sub-regulation (4) of regulation 12.

(2) If an employee is granted an extension of service beyond the date of his compulsory retirement in the interest of the Commission's work, he may be granted earned leave as under :—

(a) during the period of extension, any earned leave due in respect of the period of such extension and to the extent necessary, the earned leave which could have been granted to him under the proviso to sub-regulation (1) had he retired on the date of compulsory retirement.

(b) after the expiry of period of extension—

(i) the earned leave which could have been granted to him under the proviso to sub-regulation (1) had he retired on the date of compulsory retirement diminished by the amount of such leave availed of during the period of extension; and

(ii) any leave earned during the period of extension as has been formally applied for as preparatory to final cessation of his duties in sufficient time during the extension and refused to him in the interest of the Commission's work."

No. 17(7)/74-Reg.(.).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959) the Oil and Natural Gas Commission with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Oil and Natural Gas Commission (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1964, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission (Conduct, Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil and Natural Gas Commission (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1964 after regulation 48, the following regulation shall be *inserted* namely :—

"48-A. *Residuary Powers* : Every case which is not covered by these regulations or which requires relaxation of all or any of the provisions of these regulations shall be referred to the Commission for decision."

No. 17(44)/65-Reg(.).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959) the Oil and Natural Gas Commission with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Oil and Natural Gas Commission (Payment, Deposit, Custody and Investment of Moneys) Regulations, 1966 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission (Payment, Deposit, Custody and Investment of Moneys) Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil and Natural Gas Commission (Payment, Deposit, Custody and Investment of Moneys) Regulations, 1966 after regulation 5, the following regulation shall be *inserted* namely :—

"6 *Residuary Powers* : Every case which is not covered by these regulations or which requires relaxation of all or any of the provisions of these regulations shall be referred to the Commission for decision."

No. 17(4)/74-Reg(.).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Oil and Natural Gas Commission Act 1959 (43 of 1959) the Oil and Natural Gas Commission with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Oil and Natural Gas Commission (Death, Retirement and Terminal Gratuity) Regulations, 1969, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission (Death, Retirement and Terminal Gratuity) Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Oil and Natural Gas Commission (Death, Retirement and Terminal Gratuity) Regulations, 1969 after regulation 5, the following regulation shall be *inserted* namely :—

"5-A. *Residuary Powers* : Every case which is not covered by these regulations or which requires relaxation of all or any of the provisions of these regulations shall be referred to the Commission for decision."

No. 17(49)/74-Reg.—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959) the Oil & Natural Gas Commission with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend the Oil and Natural Gas Commission (Travelling Allowance) Regulations, 1970, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission (Travelling Allowance) Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil & Natural Gas Commission (Travelling Allowance) Regulations, 1970—

(a) After regulation 12, the following regulation shall be *inserted* namely :—

"12-A. *Residuary Powers* : Every case which is not covered by these regulations or which requires relaxation of all or any of the provisions of these regulations shall be referred to the Chairman for decision."

(b) In regulation 13, the words and brackets "The cases not covered under these regulations shall be referred to the Member (Finance)/Chairman through the Secretary to the Commission for decision" shall be omitted.

K. K. DHAR,
Secy. to the Commission.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973